

## पटना विश्वविद्यालय

### अधिसूचना

डॉ० दीप्ति कुमारी, प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय को अभिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश ज्ञाप संख्या 2728/R दिनांक 16/07/2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से छः वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। पटना विश्वविद्यालय अभिषद की बैठक दिनांक 21/01/2021 के कार्य-सूची क्रम संख्या S N D 21.1.3 में लिए गए निर्णय के अनुसार उर्पयुक्त असाधारण अवैतनिक अवकाश को स्वीकृति किया गया।

कुलपति के आदेश से

हं/

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय पटना

ज्ञाप संख्या:- 6/284

पटना दिनांक:- 13-02-21

प्रतिलिपि:- (1)सभी संकायाध्यक्ष, प० वि० वि० (2)सभी विभागाध्यक्ष, प० वि० वि० (3)सभी निदेशक, प० वि० वि० (4)सभी प्राचार्य, प० वि० वि० (5)सभी पदाधिकारी, प० वि० वि० (6)सभी सम्बन्ध इकाइयों के नियंत्रित पदाधिकारी, प० वि० वि० (7) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, प० वि० वि० (8) कुलपति/ प्रतिकुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक प० वि० वि० (9) डॉ० के० पी० सिंह, इंचार्ज, सगणक केंद्र प० वि० वि० तथा (10) प्रो० दीप्ति कुमारी, सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय पटना

31/01/2021